



बिहार सरकार
Government of Bihar

अनुसूची-II A (प्रपत्र-II)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

आवेदन पत्र संख्या: EWSCO/2026/369688

आवेदन की तिथि: 28/05/2026

मैं सूरज कुमार, पिता - सुबोध प्रसाद सिंह, माता - पम्मी देवी, गाँव/शहर - महना, पोस्ट ऑफिस - पुरसण्डा, थाना - लछुआड़, प्रखण्ड - इस्लाम नगर अलीगंज, अनुमंडल - जमुई, जिला - जमुई, पिन कोड - 811301, राज्य बिहार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं भूमिहार / Bhoomihar जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो-
(क) केन्द्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एवं बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।
 2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु 90000 है।
 3. मेरे परिवार के पास इस्लाम नगर अलीगंज अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।
अथवा
कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (सूरज कुमार) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।
 4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।
 - i. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे उपर।
 - ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट।
 - iii. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।
 - iv. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।
- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जनता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

(आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम)

स्थान:

दिनांक:

कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन

आवेदक के परिवार की कुल आय वित्तीय वर्ष में आठ (8) लाख रुपये मात्र से कम है (हाँ/नहीं):

इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- i. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे उपर (हाँ/नहीं):
- ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट (हाँ/नहीं):
- iii. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड (हाँ/नहीं):
- iv. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड (हाँ/नहीं):

जाति/Caste : भूमिहार / Bhoomihar

नोट: (क) केन्द्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एवं बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।

प्रमाण पत्र तैयार करने हेतु अनुशंसित (हाँ/नहीं)?

अनुशंसित नहीं होने का कारण:

(कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर तथा नाम)

स्थान:

दिनांक: